राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, नागौर

दिनांक - 21/01/25

क्रमांक रसद / लेखा / 2024 / 184

सार्वजनिक नीलामी सूचना

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जब्त निम्न सामग्री को माननीय जिला कलक्टर न्यायालय नागौर के निर्णय दिनांक 23.08.2023 के क्रम में खुली बोली द्वारा जहां है जैसा है" के आधार पर नीलामी कमेटी द्वारा निम्नलिखित स्थान पर प्रातः 11.00 बजे विक्रय किया जाना है। इच्छुक खरीददार निर्धारित बयाना राशि नगद अथवा जिला रसद अधिकारी नागौर के नाम से डीडी नीलामी समय से पूर्व जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं –

प्रकरण संख्या	नाम वस्तु एवं मात्रा	न्यूनतम बोली	माल का अनुमानित मूल्य	बयाना राशि 2 प्रतिशत	नीलामी तिथि व स्थान
रसद मामला संख्या– 08 / 2024 सरकार बनाम उगमाराम न्यायालय जिला कलक्टर नागौर निर्णय दिनांक 03.12.2024	**2050** लीटर डीजल पेट्रोलियम पदार्थ	65 रूपये प्रति लीटर	1,33,250 / –रूपये	2665 / – रूपये	दिनांक 11.02.2025 स्थान–किसान फिलिंग स्टेशन जायल।

1. नीलामी की शर्ते विभाग की वेबसाईट http://www.food.raj.nic.in तथा http://www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है एवं नीलामी की शर्ते कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय, नागौर मे भी देखी जा सकती है।
2. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी कार्यालय समय मे प्राप्त की जा सकती है।
3. नीलामी योग्य सामग्री का नमूना सम्बन्धित पुलिस थाने में देखा जा सकता है।

21/1/2025

(अंकित पचार)
जिला रसद अधिकारी,
नागौर
दिनांक–21/01/25

क्रमांक–सम / 185-193

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. निजी सहायक श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, नागौर।
3. तहसीलदार, जायल को भेजकर लेख है कि आप नीलामी कमेटी के सदस्य होने के कारण निर्धारित तिथि को कमेटी स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
4. कोषाधिकारी, नागौर को भेजकर लेख है कि आप अपना प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को कमेटी स्थल पर भिजवाने का श्रम करावे।
5. सहायक लेखाधिकारी कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि आप नीलामी कमेटी के सदस्य होने के कारण निर्धारित तिथि को कमेटी स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
6. श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय हाजा को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आप नीलामी सम्बन्धी कार्य में नीलामी समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें साथ ही समस्त अनुज्ञापत्रधारी व्यक्तियों / फर्मो को सूचित करें।
7. प्रोपराईटर / मैनेजर किसान फिलिंग स्टेशन जायल को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नीलामी के समय निर्धारित स्थान पर उपस्थित रहेगें एवं नीलामी मे रखा गया माल समिति को सुपुर्द करेगें।
8. प्रोग्रामर खाद्य एवं नागरिक विभाग शासन सचिवालय जयपुर को खाद्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोडकरने हेतु प्रेषित है।
9. सम्पादक, दैनिक सांध्य ज्योति नागौर।

जिला रसद अधिकारी
नागौर

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, नागौर

नीलामी की अन्य शर्ते

(अन्तर्गत रसद मामला संख्या– 08/2024 सरकार बनाम उगमाराम न्यायालय जिला कलक्टर नागौर निर्णय दिनांक 03.12.2024)

1. नीलामी से पूर्व बोली दाता को निर्धारित धरोहर राशि जिला रसद अधिकारी, नागौर के नाम से जारी ड्राफ्ट/बैंक चैक/नगद जमा करवानी होगी।
2. बोली से पूर्व बोली दाता पेट्रोलियम पदार्थ का नीलामी स्थल पर निरीक्षण कर सकता है ।
3. नीलामी के सन्दर्भ मे अन्य किसी से जानकारी एवं अन्य शर्तो हेतु जिला रसद अधिकारी कार्यालय मे सम्पर्क कर सकता है।
4. नीलामी की सूचना विभाग वेबसाईट http://www.food.raj.nic.in या http://www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।
5. बोलीदाता के पास विधि सम्मत अनुज्ञापत्र होना आवश्यक है।
6. राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा गठित कमेटी के समक्ष नीलामी की जावेगी।
7. उच्चतम बोलीदाता के पक्ष मे बोली छुटने पर बोलीदाता को कुल कीमत का 1/4 भाग राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी तथा 3/4 राशि बोली स्वीकृति के तीन दिवस मे जमा करवाकर माल सुपुर्दगी पर प्राप्त करना होगा। सुपुर्दगी पत्र जारी होने के बाद तत्काल माल अपने कब्जे मे लेना होगा निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करवाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. सफल बोलीदाता को केन्द्र/राज्य सरकार के नियमानुसार समस्त कर (आयकर/जीएसटी/वेट) इत्यादि जो भी देय हो देना होगा।
9. पेट्रोलियम पदार्थ उठाने तक का समस्त खर्चा (जहां पदार्थ पडा है) सफल बोलीदाता को वहन करना होगा।
10. किसी भी बोली को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार नीलामी कमेटी को होगा।
11. पेट्रोलियम पदार्थ खरीद के पश्चात बोलीदाता उक्त पदार्थ का विधि सम्मत प्रयोग करेगा एवं प्रयोग के पश्चात End Use Certificate जिला रसद अधिकारी नागौर को प्रस्तुत करना होगा।
12. न्याय क्षेत्र नागौर होगा।

21/1/25

(अंकित पचार)
जिला रसद अधिकारी,
नागौर